

पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पारिश्रमिक/ प्रतिफल का विवरण

विवरण	मौजूदा (रु.)	प्रस्तावित (रु.)	बदलाव का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)
<p>भाग -क:</p> <p>नियत वेतन (अनुलाभ सहित):</p> <p>.....से तक प्रभावी</p> <p>1. वेतन</p> <p>2. महंगाई भत्ता</p> <p>3. सेवानिवृत्ति/ अधिवर्षिता लाभ:</p> <p>(क) भविष्य निधि</p> <p>(ख) उपदान</p> <p>(ग) पेंशन</p> <p>(घ).....</p> <p>4. छुट्टी किराया रियायत / भत्ता</p> <p>5. अन्य नियत भत्ते, यदि कोई हो (कृपया निर्दिष्ट करें) *</p> <p>* समेकित भत्ता, यदि कोई हो, तो इसके शीर्ष के विवरण के साथ दिया जाएगा।</p> <p>6.अनुलाभ:</p> <p>(i) नि: शुल्क सुसज्जित घर और उसका रखरखाव/ आवास किराया भत्ता</p> <p>(ii) वाहन भत्ता/ निम्नलिखित के लिए बैंक की कार का नि:शुल्क उपयोग</p> <p>क) आधिकारिक प्रयोजन</p> <p>ख) निजी प्रयोजन</p> <p>(iii) चालकों का वेतन</p> <p>(iv) क्लब सदस्यता/एं</p> <p>(v) चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति</p> <p>(vi) कोई अन्य अनुलाभ (कृपया निर्दिष्ट करें)</p>			
कुल नियत वेतन (अनुलाभ सहित)			

विवरण	मौजूदा (रु.)	प्रस्तावित (रु.)	बदलाव का कारण
<p>नोट:</p> <p>(क) यदि कोई लाभ गैर-मौद्रिक प्रकृति का है, जैसे- निः शुल्क सुसज्जित घर, तो जितना संभव हो इसका मौद्रिक समतुल्य मान निर्धारित करके इसे निरपवाद रूप से दिया जाना चाहिए। यदि नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति पहले से ही आवेदक बैंक से जुड़ा हुआ है, तो उसके मौजूदा पारिश्रमिक के विवरण आदि को दर्शाया जाना चाहिए।</p> <p>(ख) पारिश्रमिक में किसी प्रस्तावित बदलाव के कारणों को कॉलम (4) के तहत उपयुक्त रूप से दर्शाया जाना चाहिए।</p> <p>(ग) यदि बैंक कोई साइन-ऑन/ जॉइनिंग बोनस (प्रथम वर्ष तक सीमित) देने का प्रस्ताव करता है, जो कि शेयर-लिंकड लिखत के रूप में होना चाहिए, तो इसका विवरण (जैसे कि शेयरों की संख्या, अनुदान की तारीख और कीमत, मौद्रिक मूल्य, वेस्टिंग शेड्यूल) अलग से दर्शाया जाना चाहिए।</p> <p>(घ) बैंकों को केवल ऐसे अनुलाभों को नियत वेतन से अलग करना चाहिए, जो किसी भी मौद्रिक सीमा के बिना प्रतिपूर्ति योग्य हैं, जैसे - अस्पताल में भर्ती होने का खर्च आदि। ऐसे अनुलाभों का विवरण अलग से संलग्न किया जाना चाहिए और कुल नियत वेतन की गणना करते समय इसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इस तरह की छूट केवल ऐसे लाभ/ अनुलाभ के लिए दी जाती है, जिसकी मात्रा पहले से निर्धारित नहीं की जा सकती। ये छूटें पर्यवेक्षी समीक्षा के अधीन होंगी।</p>			
(1)	(2)	(3)	(4)
भाग- ख : परिवर्तनशील वेतन: वित्तीय वर्ष / निष्पादन अवधि के लिए			
1. नकद घटक • प्रारंभिक भुगतान (% के साथ) • आस्थगित भुगतान (% के साथ)			
कुल नकद घटक			
वेस्टिंग अवधि (वर्षों में)			
आस्थगन व्यवस्था (i) प्रथम वर्ष (ii) दूसरा वर्ष (iii) तीसरा वर्ष (iv).....			
2. गैर-नकद घटक			

विवरण	मौजूदा (रु.)	प्रस्तावित (रु.)	बदलाव का कारण
(शेयर से जुड़े लिखत):			
(I) ईएसओपी/ ईएसओएस (क) शेयर/ शेयर लिंकड लिखतों की संख्या (ख) मौद्रिक मूल्य (ग) आस्थगन (% के साथ) (घ) वेस्टिंग शेड्यूल विवरण			
(ii) (कोई भी अन्य शेयर से जुड़े लिखत) (क) शेयर / शेयर से जुड़े लिखतों की संख्या (ख) मौद्रिक मूल्य (ग) आस्थगन (% के साथ) (घ) वेस्टिंग शेड्यूल विवरण			
(iii) कोई अन्य गैर-नकद घटक (कृपया निर्दिष्ट करें) और इसके मौद्रिक मूल्य आस्थगन, वेस्टिंग शेड्यूल आदि का उल्लेख करें।			
गैर-नकद घटक का कुल मौद्रिक मूल्य			
परिवर्तनशील वेतन का कुल मौद्रिक मूल्य (नकद और गैर-नकद घटक)			
कुल परिवर्तनशील वेतन में नकद घटक का%			
कुल परिवर्तनशील वेतन में गैर- नकद घटक का%			
नियत वेतन से परिवर्तनशील वेतन का% और कुल पारिश्रमिक में परिवर्तनशील वेतन का% (उसी वित्तीय वर्ष/ निष्पादन अवधि के लिए)			
कुल पारिश्रमिक (नियत वेतन + परिवर्तनशील वेतन)			
<p>नोट: (क) दोनों भागों- क और ख को नियुक्ति/ पुनः नियुक्ति या पारिश्रमिक/ पारिश्रमिक के संशोधन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के समय भरा और जमा किया जाना है। विभिन्न उप-घटकों के साथ लक्ष्य परिवर्ती वेतन, आस्थगित और वेस्टिंग अवधि इत्यादि को भाग ख में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</p> <p>(ख) जब भी बैंक अवधि के अंत के बाद, किसी विशेष निष्पादन मापक अवधि के लिए परिवर्तनशील वेतन की मंजूरी हेतु आरबीआई से संपर्क करता है, केवल भाग-ख को उपयुक्त रूप से भरा और जमा किया जाना है।</p>			